

प्रेषक,

पी०एस०जगपांगी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
समृद्धाय केन्द्र प्रीति विहार,  
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहस्थान, दिनांक: 14 जून, 2013

विषय: हीरा कुंवर पब्लिक स्कूल कुंवरपुर (गोलापार) हल्द्वानी, नैनीताल को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी०बी०एस०ई०) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निरेश हुआ है कि हीरा कुंवर पब्लिक स्कूल कुंवरपुर (गोलापार) हल्द्वानी, नैनीताल को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी०बी०एस०ई०) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

(क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौशिंहि फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय की पंजीकरण सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ग) विद्यालय प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होना चाहिए।

(घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनमें उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

(ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौशिंहि फार इण्डियन सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त

होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान खतः समाप्त हो जायेंगे।

(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणीत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम देतनावान् तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(छ) विद्यालय/संस्था के कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों लोगों अनुबंध ऐसा नियुक्त लगभग उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ट) उक्त शर्तों में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि निरीक्षण आव्याय/प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है यथा नियमों के अधीन नहीं है तो इसकी तवाबदेही/उत्तरदायित्व निरेशक एवं नियंत्रक अधिकारी/अपर शिक्षा निरेशक का होगा।

3. उक्त विद्यालयों द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण सम्बन्धी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

4. संस्था द्वारा उक्त विद्यालय में कक्षा-कक्ष मानकानुसार माप के निर्मित किये जायेंगे तथा मानकानुसार शुल्क में वृद्धि की जायेगी।

5. शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2011 में उल्लिखित प्राविधान कि 25 प्रतिशत सरकार प्रायोजित कमज़रे एवं अपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी संस्था द्वारा पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,  
(पी०एस०जंगपांगी)  
अपर सचिव।

पृष्ठांक संख्या 527 / xxiv-3 / 13 / 01/03/13 दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक घटनाको हेतु डेविल

- (1) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) जिलाधिकारी नैनीताल।
- (3) अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (4) गुरु शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
- (5) प्रधानाचार्य, हीरा कुंवर पब्लिक स्कूल कुंवरपुर (गौलापार) हल्द्वानी, नैनीताल।
- (6) गार्ड फाइल

आज्ञा से,

  
(सुनीलश्री पाठ्री)  
उप सचिव

